

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ.10() चुनाव/जन/स्वाशा./2024/ 1423-1473 दिनांक 7/6/2024
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त राज.।

**विषय:- बजट घोषणा 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 द्वारा
नवगठित नगर पालिकाओं के आम चुनाव हेतु नगरपालिका में वर्ष 2011
जनगणना के आधार पर वार्ड की संख्या एवं परिसीमांकन के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में निवेदन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 86 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या का निर्धारण अधिसूचना दिनांक 10.06.19 के आधार पर निम्नानुसार किया जाना है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	नगर पालिका नाम	जनगणना 2011 के अनुसार प्रस्तावित वार्ड	नगर पालिका की कुल जनसंख्या
1	जयपुर ग्रामीण	बस्सी	35	26,029
2	जयपुर ग्रामीण	नरायणा	25	15863
3	जयपुर ग्रामीण	मनोहरपुर	25	20,287
4	जयपुर ग्रामीण	वाटिका	20	10,590
5	दूदू	फागी	20	14,781
6	दूदू	दूदू	25	15,816
7	नीमकाथाना	पौख	20	13,694
8	नीमकाथाना	अजीतगढ़	25	15,414
9	सीकर	दातां	25	18,344
10	झुंझनू	गुदागौडजी	20	13,369
11	झुंझनू	सिंधाना	20	11,372
12	दौसा	मण्डावर	20	11,960
13	दौसा	मण्डावरी	20	10,789
14	दौसा	रामगढ़-पंचवारा	20	7,945
15	दौसा	बसवा	25	15,532
16	दौसा	लवाण	20	12,658
17	दौसा	भाण्डारेज	25	19,058
18	दौसा	सिकराय	20	10,612
19	कोटपूतली-बहरोड़	पावटा-प्रागपुरा	35	33,031
20	कोटपूतली-बहरोड़	बानसूर	35	27,354
21	कोटपूतली-बहरोड़	बड़ौद	25	16,434

22	कोटपूतली-बहरोड	नीमराना	25	15,162
23	खैरथल-तिजारा	टपूकडा	20	9,471
24	खैरथल-तिजारा	कोटकासिम	20	8,538
25	खैरथल-तिजारा	मुण्डावर	25	15,739
26	अलवर	बडौद मेव	20	11,893
27	अलवर	गोविन्दगढ	20	11,552
28	अलवर	बहादुरपुर (किशनगढवास)	25	21,112
29	अलवर	कतूमर	20	10,428
30	अलवर	मालाखेडा	20	11,529
31	अलवर	रैणी	20	14,857
32	अलवर	नौगाव	20	10,797
33	अलवर	मुबारिकपुर	20	12,420
34	अलवर	लक्ष्मणगढ	35	26,103
35	अलवर	रामगढ	35	33,194
36	डीग	सीकरी	25	17,148
37	भरतपुर	उच्चैन	25	22,445
38	घौलपुर	सरमथुरा	25	21,110
39	घौलपुर	बसेडी	25	22,872
40	करौली	सपोटरा	20	11,202
41	करौली	मण्डरायल	20	8,590
42	सवाईमाधोपुर	बौली	25	15,300
43	सवाईमाधोपुर	खिरनी	20	12,963
44	गंगापुरसिटी	बामनवास	20	13,397
45	गंगापुरसिटी	वजीरपुर	25	15,515
46	कोटा	सुल्तानपुर	25	24,273
47	कोटा	सुकेत	25	22,328
48	बारां	अटरू	25	24,691
49	बारां	सीसवाली	20	14,991
50	बारां	केलवाडा	25	17,035
51	बूंदी	दई	20	12,884
52	बूंदी	हिण्डौली	20	12,186
53	कंकडी	सावर	20	10,705
54	टोंक	दूनी	20	11,295
55	नागौर	बासनी	35	29,187
56	नागौर	जायल	25	16,218

57	डीडवाना-कुचामन	बोरावड	25	24,975
58	सांचौर	रानीवाडा	20	12,598
59	जालोर	आहोर	25	16,867
60	भीलवाडा	हमीरगढ	20	12,713
61	भीलवाडा	रायपुर	20	7,933
62	सिरोही	जावाल	20	10,293
63	पाली	मारवाड जक्शन	25	15,880
64	जोधपुर ग्रामीण	भोपालगढ	25	21,895
65	जोधपुर ग्रामीण	बात्सेसर-सत्ता	35	31,913
66	जोधपुर	शेरगढ	20	6,616
67	फलौदी	बाप	20	10,393
68	जैसलमेर	रामदेवरा	20	11,008
69	बीकानेर	खाजूवाला	20	11,645
70	गंगानगर	लालगढ-जाटान	20	13,242
71	हनुमानगढ	टिब्बी	20	13,387
72	हनुमानगढ	गोलूवाला	25	21,313
73	बालोतरा	सिवाना	25	24,387
74	उदयपुर	ऋषभदेव	20	13,539
75	उदयपुर	वल्लभनगर	20	11,043
76	उदयपुर	मावली	20	11,617
77	उदयपुर	खैरवाडा	20	13,016
78	सलूमबर	सेमारी	20	13,327
79	सलूमबर	महाराणा प्रताप नगर पालिका सराडा-चावण्ड	20	11,231
80	राजसमन्द	भीम	20	12,814
81	चित्तौडगढ	आकोला	20	11,049
82	प्रतापगढ	धरियावाद	20	11,368
83	प्रतापगढ	दलोट	20	5,647
84	डूंगरपुर	सीमलवाडा	20	8,507
85	डूंगरपुर	आसपुर	20	3,754
86	बांसवाडा	घाटोल	20	14,049

उपरोक्त नवगठित नगरपालिकाओं के चुनाव अतिशीघ्र आयोजित किये जाने है। प्रत्येक वार्ड का वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। निर्धारित वार्डों का जनसंख्या के आधार पर तालिका 1 में दर्शायी गई, नगर पालिकाओं का वार्ड परिसीमांकन करना है। उक्त परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकाओं के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना एवं उसके बाद वार्डों का प्रारम्भिक

प्रकाशन करना तथा वार्ड प्रस्तावों पर दावे एवं आपत्तियों का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना एवं वार्डों को अन्तिम कर राजपत्र में प्रकाशित करना आदि सभी कार्यवाही नियमानुसार की जानी आवश्यक है। अतः वार्ड गठन/परिसीमान के लिए आपको निम्न अनुदेश दिये जाते हैं :-

"अनुदेश"

1. प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड नगर पालिका हेतु निर्धारित सीटों के अनुरूप होंगे।
2. यह संभव नहीं है कि सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान हों। इसके समायोजन हेतु आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक हो सकती है अथवा 10 प्रतिशत कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं किया जावे।
3. वार्डों की सीमाएं जहां तक संभव हो सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जावे और यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगड़ता हो तो वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकती है।
4. नगर पालिका के वार्डों को बनाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कोई भी क्षेत्र वार्ड में से छूट न जावे।
5. वार्डों को इस प्रकार बनाये जो कि वार्ड लम्बे एवं सड़कनुमा नहीं हो तथ यह भी ध्यान रखे कि किसी वार्ड में कोई पाकेट न बन जावे।
6. वार्डों का गठन इस प्रकार किया जावे कि एक ही मकान दो वार्डों में विभाजित न हो पाये।
7. बड़े शहरों में विधानसभा बाउण्ड्री को न तोड़ा जाये तथा दो विधानसभा क्षेत्रों के बाउण्ड्री का एक वार्ड न बनाया जावे।
8. नगर पालिका के वार्डों को पूर्ण रूप से पुलिस थाने की सीमा के साथ इस प्रकार बनाया जावे कि पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में रहे। एक वार्ड दो अलग-अलग पुलिस थाने की सीमा में विभाजित नहीं होना चाहिए।
9. नगर पालिका के वार्डों को यथा संभव विकास प्राधिकरण नगर/विकास न्यास के साथ इस प्रकार रखा जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही जोन में रहे।
10. नगर पालिका के वार्डों के गठन में उपायुक्त पुलिस के क्षेत्राधिकार के संबंध में इस प्रकार रखा जावे कि एक वार्ड अलग-अलग पुलिस उपायुक्त/पुलिस स्टेशन में नहीं रहे।
11. नगर पालिका वार्डों के गठन में उपखण्ड अधिकारी, अति. जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पुर्नगठित किय जावे कि सम्पूर्ण वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे तथा उसमें पीएचडी, पीडब्ल्यूडी एवं डिस्कॉम के अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार के साथ भी समानता रखी जावे।
12. वार्डों का संख्याकन- नगर पालिका में वार्डों का संख्याकन नगर पालिका के उत्तर पश्चिमी कोने से एन्टी-क्लीकवाइज प्रारम्भ करते हुए चक्रीय क्रम से किया जायेगा।
13. उक्त वार्डों के आरक्षण हेतु राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 बनाये गये हैं। आरक्षण उक्त नियमों एवं वर्ष 2004 में जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार किया जायेगा। वार्डों के संख्याकन एवं महिला आरक्षण आदि के लिये कार्य राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही करना है।
14. वार्ड प्रस्ताव की 5 प्रतियां (प्रारूप "क" ख, ग, नक्शा) में तैयार की जावेगी। (प्रति संलग्न है) जिसमें-

अ. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक में प्रकाशन हेतु विशेष वाहक द्वारा प्रेषित की जावेगी।

ब. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।

स. संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी।

द. संबंधित नगर पालिका की कार्यालय उपयोग हेतु प्रेषित की जावेगी।

15. वार्ड प्रस्ताव तैयार करते समय आप नगर पालिका वार्ड की सीमाओं व कार्यप्रणाली के अच्छी प्रकार से जानकारी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा तैयार करवाये। नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव बाबत सभी कार्यों के सहयोग हेतु अपने पास की नगरीय निकाय के डी.टी.पी./एस.टी.पी. का सहयोग लेते हुये उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जावे। निदेशालय को वार्ड गठन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वयं एवं उनके भी प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करावे। उक्त कार्य समयावधि में निष्पादन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. उपरोक्त नवगठित नगरीय निकायों में से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर और उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा किसी नगरपालिका के गठन की अधिसूचना पर स्थगन आदेश पारित किए गए हैं, तो ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त महाधिवक्ता जोधपुर श्री राजेश पंवार/अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर श्री जी.एस.गिल महोदय से परिसीमांकन के संबंध में राय ली जाकर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

कृपया निम्न कार्यक्रम के अनुसार समय पर कार्यवाही पूर्ण करें -

क्र. सं.	विषय/गतिविधियों	कुल दिवस	प्रस्तावित कार्यक्रम
1.	वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन	30 दिवस	11 जून 2024 से 10 जुलाई 2024
2.	परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपत्तियां प्राप्त करना	15 दिन	11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024
3.	वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शों एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों, पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना।	15 दिन	26 जुलाई 2024 से 09 अगस्त 2024
4.	राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन	15 दिन	12 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार परिसीमांकन कार्य एवं वार्डों का आरक्षण पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य प्रगति से संबंधित पत्र निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को संबंधित किया जायेगा। उक्त दिशा निर्देश वार्डों के पुनः सीमांकन हेतु आपकी सुविधा हेतु दिये जा रहे हैं। परन्तु वार्डों का पुनर्सीमांकन एवं पुनर्गठन करते समय इससे संबंधित नियमों एवं पूर्व में जारी निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर उन्हीं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.10() चुनाव/जन/स्वाशा./2024/1474-1700 दिनांक

7/6/2-24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, उप शासन सचिव, आयुक्त पंचायत राज. विभाग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त राज0।
8. निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त
9. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संबंधित (नगर पालिका)।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर को भेजकर लेख है संबंधित से समन्वय स्थापित कर उक्त समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। तथा डी.टी.पी./एस.टी.पी. को उपलब्ध करवाने हेतु भी अग्रिम कार्यवाही करावे।
11. अधीक्षक, राज्यकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ को भेजकर लेख है कि नव गठित नगर पालिका के वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव बाबत सभी कार्यवाही हेतु आपके यहा पदस्थापित डी.पी.पी./एस.टी.पी. को संबंधित नव गठित नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी को उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित करें उक्त कार्य तय समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि आपके नगरीय निकाय में वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का पूर्व में अनुमोदन हो गया है। तो अनुमोदन की स्थिति से अवगत करावे एवं नवगठित नगर पालिका में गठन के पश्चात् सीमा वृद्धि की गई तो नियमानुसार सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अनुसार परिसीमांकन प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
14. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

कार्यालय नगर निगम/परिषद/पालिका _____

जिला _____

(राज्य) _____

प्रोफार्मा "क"

नगर निगम/परिषद/पालिका _____

(वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का गठन)

वार्ड सं.	विवरण

कार्यालय नगर निगम/परिषद/पालिका _____

जिला _____

(राज्य) _____

प्रोफार्मा "ख"

1 नगर निकाय का नाम	नगर निकाय क्षेत्र में -
2 वार्डों की कुल सं. -	1 कुल जनसंख्या -
(क) कुल वार्ड -	2 कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या -
(ख) सामान्य -	3 कुल अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या -
(ग) अनुसूचित जाति	4 प्रति सीट औरतन जनसंख्या -
(घ) अनुसूचित जन जाति -	(कुल जनसंख्या में कुल सीटों का भाग देकर निकालें)
(ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग -	5 औसत से 10 प्रतिशत कम जनसंख्या -
	6 औसत से 10 प्रतिशत ज्यादा जनसंख्या -

प्रस्तावित वार्ड सं.	वार्ड नं. ब्लॉक सं. 2011 की जनगणना का जो प्रस्तावित वार्ड में सम्मिलित किया गया है, वह ब्लॉक का पूरा भाग	कॉलम 2 की उल्लेखित क्षेत्रों की जनसंख्या	प्रस्तावित वार्ड की कुल जनसंख्या व प्रतिशत
		कुल	अनु.जा. अनु.जा.
1	ब्लॉक नं. प्रतिशत		% %

कार्यालय नगर निगम/परिषद/पालिका _____

जिला _____

(राज्य) _____

प्रोफार्मा "ग"

प्रमाणित किया जाता है -

- नगर निगम/परिषद/पालिका की जो सीमा मानचित्र में दर्शाई गई है वह वर्ष 2011 के चुनावों हेतु नगर पालिका प्रारम्भिक गठन की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अनुसार सीमा क्षेत्र/अन्तिम सीमा क्षेत्र का सीमांकन है।
- यह कि वार्डों का उल्लेख करते हुए नगर निकाय क्षेत्र का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है।
- यह कि वार्ड प्रस्ताव में किसी अनाधिकृत क्षेत्र अथवा गैर नगर परिषद/पालिका क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है।

एव